न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2025 अपील

1. नन्दा पिता मांगु गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. जगरूप पिता सोला गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेडा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार करेड़ा बप्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 04.05.2022

उपस्थित –

1. श्री सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 13.11.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम अजीतपुरा, पटवार हल्का आमदला, तहसील करेडा जिला भीलवाडा की सरहद में आराजी संख्या 340, 359, 363, 364, 367, 333/366, 34, 85, 86, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 77, 83, 84, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 151, 152, 153, 350, 358, 607, 210, 211 आराजियात स्थित हैं जिसमे अपीलाण्ट नन्दा पिता मांगु गुर्जर का हक हिस्सा निहित हैं, साथ ही जगरूप पिता सोला गुर्जर का भी हिस्सा निहित हैं। जगरूप पिता सोला गुर्जर ने उपरोक्त वर्णित आराजियात मे से अपना हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र दिनांकित 12/01/2016 के जरिये अपीलाण्ट के हक मे हकत्याग कर दिया जिस बाबत अपीलाण्ट के हक में नामान्तरण संख्या 380 दिनांक 17/06/2016 खोला गया, इसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट जगरूप गुर्जर द्वारा अपील श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या 41/2018 हैं, जो इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलाण्ट नन्दा गुर्जर ने रेस्पोडेन्ट जगरूप गुर्जर जो कि अनपढ होने से उसे पेन्शन

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

एवं आवास योजना का मकान बनाने का बहाना बनाकर हकत्याग निष्पादित करवा दिया तथा उक्त आराजियात का नामान्तरण अपने पक्ष मे करवा लिया। जबकि हकत्यागनामा दिनांक 12/01/2016 के अनुसार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट का हिस्सा काका भतीजा का होना वर्णित किया हुआ हैं ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट का यह वर्णित करना कि अपीलाण्ट एक ही समाज का होने से उस पर विश्वास कर लिया जबकि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट का हिस्सा काका भतीजा का हैं तथा रेस्पोडेन्ट ने स्वस्थचित्त सम्पूर्ण जानकारी के आधार पर ही हकत्यागनामा अपीलाण्ट के हक मे निष्पादित करवाया फिर लोगों की सिखावट में आकर हकत्यागनामा के आधार पर खोले गये नामान्तरण संख्या 380 को निरस्त कराने बाबत अपील कलेक्टर साहब, भीलवाडा के यहां प्रस्तुत की तथा कलेक्टर साहब, भीलवाडा द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण मे समस्त दस्तावेज का विधि सम्मत परीक्षण एवं एवं उभय पक्षकारान की सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करने का आदेश दिनांक 05/10/2021 को पारित किया जिसकी अनुपालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जिस पर अपीलाण्ट दिनांक 16/03/2022 को जरिये अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा जवाब हेतु अवसर चाहा तत्पश्चात दिनांक 28/03/2022 की पेशी दी गई तथा दिनांक 28/03/2022 को अपीलाण्ट को राजस्व रेकार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण जवाब हेतु समय चाहने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समय दिया गया तत्पश्चात अपीलाण्ट को जानकारी के बिना पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट जगरूप गुर्जर के बयान लेखबद्ध किये गये एवं पत्रावली मे पेशी दिनांक 25/04/2022 की नियत कर दी गई तथा दिनांक 25/04/2022 को पीठासीन अधिकारी उपस्थित नही होने के कारण पेशी दिनांक 04/05/2022 के लिए तब्दील की गई अर्थात दिनांक 04/05/2022 को अपीलाण्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत होना था लेकिन उस दिन अपीलाण्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल मात्र जगरूप को उपस्थित बताकर एवं अपीलाण्ट की ओर से जवाब को अप्राप्त बताते हुए पत्रावली को निर्णित कर यह निर्णय पारित किया गया कि अपीलाण्ट नन्दा पिता मांगु गुर्जर को हकत्याग किया गया जग्गु पिता सोला गुर्जर का हिस्सा पुनः रेस्पोडेन्ट जग्गु पिता सोला गुर्जर का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया, इस प्रकार

13.11.25

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय पुरी तरह मानमाना विधि विरूद्व तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से पारित निर्णय अपास्त होने योग्य है। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को हैं अपीलाण्ट भी हकत्याग वाली आराजियात मे सहखातेदार तथा रेस्पोडेन्ट भी सहखातेदार था ऐसी स्थिति मे कानूनन एक सहखातेदार द्वारा दुसरे सहखातेदार के पक्ष में हकत्याग कानुनन किया जा सकता हैं। हस्तगत प्रकरण मे हकत्यागनामें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट का रिश्ता काका भतीजा का वर्णित करते हुए एक ही दादा की औलाद होना एवं खुन का रिश्ता होना वर्णित किया हैं ऐसी स्थिति में हकत्याग पुरी तरह विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निष्पादित किया गया है तथा कानुन सम्मत हैं फिर भी कदाचित रेस्पोडेन्ट इसे निरस्त करवाना चाहता है अथवा हकत्याग से किसी प्रकार प्रभावित हैं तो सिविल न्यायालय के समक्ष ही उक्त पंजीकृत हकत्यागपत्र को चुनौती दी जा सकती थी तथा राजस्व न्यायालय को हकत्याग को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर हकत्याग की गई आराजियात का नामान्तरण पुनः रेस्पोडेन्ट के नाम खोले जाने का जो आदेश पारित किया हैं वह विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकारिता से परे होने के कारण खारिज होने योग्य है। जानकारी के अभाव में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 05 कानुन मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत है। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाते हुए अपीलाण्ट को जवाबदेही एवं रेस्पोडेन्ट से जिरह करने एवं अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाई जावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रश्नगत नामान्तकरण के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष ही उक्त पंजीकृत हकत्यागपत्र को चुनौती दी जा सकती थी तथा राजस्व न्यायालय को हकत्याग को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर हकत्याग की गई आराजियात का नामान्तरण पुनः रेस्पोडेन्ट के नाम खोले जाने का जो आदेश पारित किया हैं वह विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकारिता से परे होने के कारण खारिज होने योग्य है। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाते हुए अपीलाण्ट को जवाबदेही एवं रेस्पोडेन्ट से जिरह करने एवं अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाई जावे।

विपक्षी संख्या 01 अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलार्थी ने दिनांक 12.01.2016 को पेंशन एवं आवास योजना का मकान बनाने का बहाना बनाकर हकत्याग कराकर प्रत्यर्थी सं 1 की जायदाद को हड़पना चाहता था जिसके नामान्तरण संख्या 380 दिनांक 17.06.2016 को प्रकरण संख्या 41/2018 अपील निर्णय दिनांक 05.10.2021 को न्यायालय आप द्वारा निरस्त कर दिया, तब तहसीलदार करेड़ा ने दिनांक 04.05.2022 को प्रत्यर्थी सं 1 के पक्ष में निर्णय किया जो सही है। हकत्याग में दो पक्षों का हित व हिस्सा होने पर एक द्वारा दूसरे के पक्ष में हकत्याग किया जा सकता है, इस प्रकरण में अपीलार्थी का प्रत्यर्थी की जायदाद में हिस्सा नही था और न ही प्रत्यर्थी सं 1 ने अपीलार्थी को कभी गोद लिया था। इसलिए रजिस्टर्ड हकत्याग भी प्रारम्भ से अवैध है, इसलिए माननीय न्यायालय ने दिनांक 05.10.2021 को नामान्तरण संख्या 380 दिनांक 17.06.2016 को निरस्त किया था तथा उक्त आदेश की अपीलार्थी ने कोई अपील नही की थी। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील को निरस्त की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं 01/2022 निर्णय दिनांक 04.05.2022 में अपीलाण्ट को सुनवायी का सम्पूर्ण अवसर प्रदान नही किया एवं न ही सम्पूर्ण दस्तावेजात पेश करने का समय प्रदान किया। रजिस्टर्ड हक त्याग को निरस्त करने के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचना नही की हैं। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 04.05.2022 विधि विरूद्व होने से व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य ठहरता हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 04.05.2022 विधि विरूद्व होने से एवं त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करेडा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में उभयपक्षों की सुनवायी की जाकर एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात मय पंजीबद्व हकत्याग का पूर्ण परीक्षण उपरान्त अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करेडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा